E-mail

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 1959 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर / दिनांक,अक्टूबर 24 – 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जपनद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या 8–07/2019–एफ0सी0 दिनांक–28.08.2019 एवं आपका पत्र संख्या–272/11–सी/FP/UP/IND/2016 दिनांक –04.09.2019, पत्रांक–768/ 11–सी– FP/UP/IND/23246/2016 दिनांक –16.10.2019

महोदय,

विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या 8–07/2019–एफ0सी0 दिनांक–28.08.2019 द्वारा आपत्ति संख्या (iv) It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd. पर पुनः स्पष्ट आख्या मांगी गयी है।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1112/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 23.10.2019 द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–07/2019–एफ0सी0 दिनांक– 28.08.2019 के बिन्दु संख्या–(iv) के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार प्रेषित किया हैः–

जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वर्ष 2007 में कुल 1083.203है0 क्षेत्र के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में धारा–9/11 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादों में वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञाप्ति से पृथक करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था। उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। मा0 एनजी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 में निम्न निर्देश दिये गये हैः–

In addition the Applicant has also prayed that a direction be issued that all recommedndations of the State Government and all approvals of the Central Government under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of all the mining leases by the State Government be carried out in a time bound manner and not later than 3 months from the date of filing of the application by the applicant complete in all respect.

—2—

We find that as this matter has been pending from 2006 onwards, there should be a direction for disposal of the recommendations under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of mining lease, if any, be carried out within a period of 6 months from the date of filing of the Application.

मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपाल में मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा दिनांक–10.01.2017 को 115.874है0 क्षेत्र का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स, लि0 द्वारा अपने पत्र दिनांक–18.09.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0 व अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के बीच दिनांक–29.06.2017 को एग्रीमेन्ट हुआ है। **(छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–1)** मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्गनत क्षेत्र जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के पक्ष में हस्तान्तरण हो जाने के उपरान्त मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा इसका लीज हस्तान्तरण नियमानुसार करा लिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन में दिशा–निर्देश दिया गया है, सम्बन्धित दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है, **संलग्नक–2**। अतः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 तक मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 व मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0 के बीच कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ था। इसलिए प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रश्नगत के संबंध में प्रेषित आख्या मय संलग्नक सहित संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– 1959 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उनके कार्यालय के पत्रांक–1112/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 23.10.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।